

प्रेषक,

डा० हेमलता ढौंडियाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग

देहरादून दिनांक: 01 दिसम्बर, 2011

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष: 2011-12 में आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अनुदान संख्या: 15, 30 एवं 31 की विभिन्न योजनाओं की अवचबद्ध मदों हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1329/ आई0सी0डी0एस0 बजट मांग-1975/ 2011-12, दिनांक 28-9-2011, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की विभिन्न योजनाओं की अवचबद्ध मदों हेतु संलग्नक 1, 2 व 3 में उल्लिखित विवरणानुसार क्रमशः अनुदान संख्या: 15 के आयोजनागत पक्ष में ₹0 2,73,07,000/- (₹0 दो करोड़ तिहत्तर लाख सात हजार मात्र), अनुदान संख्या 30 के आयोजनागत पक्ष में ₹0 9,26,000/- (₹0 नौ लाख छब्बीस हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या 31 के आयोजनागत पक्ष में ₹0 6,59,000/- (₹0 छः लाख उनसठ हजार मात्र) अर्थात् इस प्रकार कुल धनराशि ₹0 2,88,92,000/- (₹0 दो करोड़ अठ्ठासी लाख बयानबे हजार मात्र) की व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31-03-2011 में निहित प्रतिबन्धों तथा शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय पूर्व में संगत मदों में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, संपूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत कार्यालयों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।
10. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा।
13. बी.एम.-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।
15. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 280 P/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 30-11-2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।
संलग्नक: यथोपरि।


भवदीया

(डा० हेमलता ढोंडियाल)
सचिव

संख्या: 2418 (1)/XVII(4)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(दीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संलग्नक-1
दिसंबर

शासनादेश संख्या 2418 XVII(4)/2010/02(2)/11 दिनांक 01 नवम्बर, 2011 का संलग्नक

01 -- अनुदान संख्या -- **15** आयोजनागत/मतदेय
 लेखा शीर्षक : **2235-02-102-01-0102**
 मुख्य शीर्षक : **2235**-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
 उप मुख्य शीर्षक : **02**- समाज कल्याण
 लघु शीर्षक : **102**-बाल कल्याण
 उपशीर्षक : **01**-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना
 ब्यौरेवार शीर्षक : **0102**- समन्वित बाल विकास योजना (90प्रतिशत केन्द्र सहायतित)
 धनराशि हजार रू0 में

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
04	यात्रा भत्ता	7500	1875	1875
05	स्था. यात्रा भत्ता	200	50	50
08	कार्यालय व्यय	1500	375	375
11	लेखन सामग्री / फार्मों की छपाई	1200	300	300
12	कार्यालय फर्नीचर	500	125	125
13	टेलीफोन व्यय	600	150	150
15	मोटरगाड़ी अनु. एवं पेट्रोल आदि की खरीद	2000	500	500
16	व्यावसायिक सेवा	11250	3213	3213
18	प्रकाशन	500	125	125
19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	500	125	125
20	सहा.अनु./अंशदान/ राज सहा.	14050	3513	3513
22	आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता	100	25	25
26	मशीनें और साजसज्जा /उपकरण	8536	2134	2134
31	सामग्री और सम्पूर्ति	100	25	25
42	अन्य व्यय	1000	250	250
44	प्रशिक्षण व्यय	200	50	50
45	अवकाश यात्रा व्यय	300	75	75
46	कम्प्यूटर हार्डवेय का क्रय	100	25	25
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	800	200	200
	योग 0102 :-	51686	13135	13135

02- अनुदान संख्या -	15	आयोजनागत /मतदेय
लेखा शीर्षक :	2235-02-102-01-0103	
मुख्य शीर्षक :	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक :	02-	समाज कल्याण
लघु शीर्षक :	102-	बाल कल्याण
उपशीर्षक :	01-	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक :	0103-	निदेशालय, आई.सी.डी.एस. की स्थापना

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
04	यात्रा भत्ता	50	13	13
05	स्था. यात्रा भत्ता	50	13	13
08	कार्यालय व्यय	100	25	25
11	लेखन सामग्री	50	13	13
12	कार्यालय फर्नीचर	100	25	25
13	टेलीफोन व्यय	100	25	25
15	मोटरगाडी अनु.	150	38	38
16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवा	400	200	200
18	प्रकाशन	50	13	13
19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50	13	13
26	मशीनें और साज सज्जा	25	06	06
42	अन्य व्यय	40	10	10
44	प्रशिक्षण व्यय	25	06	06
45	अवकाश यात्रा व्यय	50	13	13
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय	50	13	13
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	60	15	15
कुल योग 0103 :-		1350	441	441

03- अनुदान संख्या -	15	आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक :	2235-02-102-01-0104	
मुख्य शीर्षक :	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक :	02-	समाज कल्याण
लघु शीर्षक :	102-	बाल कल्याण
उपशीर्षक :	01-	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक :	0104-	समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था

(90प्रतिशत केन्द्र सहायतित)

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
04	यात्रा भत्ता	200	50	50
05	स्था. यात्रा भत्ता	100	25	25
08	कार्यालय व्यय	150	38	38
11	लेखन सामग्री	200	50	50
12	कार्यालय फर्नीचर	200	50	50
13	टेलीफोन व्यय	150	38	38
15	मोटरगाड़ी अनु. एवं पेट्रोल आदि की खरीद	450	113	113
16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	400	225	225
18	प्रकाशन	50	13	13
19	विज्ञापन	100	25	25
26	मशीनें और साज सज्जा	100	25	25
42	अन्य व्यय	100	25	25
45	अवकाश यात्रा व्यय	50	13	13
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय	50	13	13
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	75	19	19
कुल योग 0104 :-		2375	722	722

04 अनुदान संख्या - **15** आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक : **2235-02-102-01-0108**
मुख्य शीर्षक : **2235** -सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : **02** - समाज कल्याण
लघु शीर्षक : **102** -बाल कल्याण
उपशीर्षक : **01**-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : **0108**- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं आदि को प्रशिक्षण के दौरान राशन की व्यवस्था (90 केन्द्र सहायतित)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
04	प्रशिक्षण व्यय योग	25000 25000	6250 6250	6250 6250

05 - अनुदान संख्या - **15** आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक : **2235-02-102-01-0110**
मुख्य शीर्षक : **2235** -सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

उप मुख्य शीर्षक : **02** – समाज कल्याण
लघु शीर्षक : **102** –बाल कल्याण
उपशीर्षक : **01**–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : **0110**– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (90 प्रतिशत के0सहा0)

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
20	सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	8244	2061	2061
कुल योग 0110 :-		8244	2061	2061

06 – अनुदान संख्या – **15** आयोजनागत/मतदेय

लेखा शीर्षक : **2235-02-102-01-0114**
मुख्य शीर्षक : **2235** –सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : **02**– समाज कल्याण
लघु शीर्षक : **102**–बाल कल्याण
उपशीर्षक : **01**–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : **0114**– सूचना,शिक्षा,संचार तथा प्रचार प्रसार (90 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
42	अन्यव्यय	16488	4122	4122
योग 0114 :-		16488	4122	4122

07 –अनुदान संख्या – **15** आयोजनागत/मतदेय

लेखा शीर्षक : **2235-02-102-06-0602**
मुख्य शीर्षक : 2235 –सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02– समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102–बाल कल्याण
उपशीर्षक : 06–बाल कल्याण की विविध योजनाएं
ब्यौरेवार शीर्षक : 0602– बाल दिवस समारोह

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
42	अन्य व्यय	500	125	125
कुल योग 0602 :-		500	125	125

08 – अनुदान संख्या – **15** आयोजनागत/मतदेय

लेखा शीर्षक : **2235-02-102-09-00**
मुख्य शीर्षक : **2235** –सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

उप मुख्य शीर्षक : **02** – समाज कल्याण
लघु शीर्षक : **102** – बाल कल्याण
उपशीर्षक : **09** – राज्य स्तरीय “तीलू रौतेली” पुरस्कार योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : **00** –

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
42	अन्य व्यय	200	50	50
कुल योग 0900 :-		200	50	50

9 – अनुदान संख्या – **15** आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक : **2235-02-102-15-00**
मुख्य शीर्षक : **2235** – सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : **02** – समाज कल्याण
लघु शीर्षक : **102** – बाल कल्याण
उपशीर्षक : **15** – निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टॉफ की व्यवस्था (राज्य योजना)
ब्यौरेवार शीर्षक : **00** –

(धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
04	यात्रा व्यय	100	25	25
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	25	25
08	कार्यालय व्यय	50	13	13
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरणों का क्रय	150	38	38
13	टेलीफोन पर व्यय	100	25	25
15	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	200	50	50
16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	900	225	225
कुल योग 1500 :-		1600	401	401

अनुदान संख्या 15-Plan का कुल योग

27307 हजार



(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संलग्नक-2

श्रीकम

शासनादेश संख्या 2418 XVII(4)/2010/02(2)/11 दिनांक 01 नवम्बर, 2011 का संलग्नक

01 - अनुदान संख्या - **30** आयोजनागत/मतदेय

लेखा शीर्षक : **2235-02-102-02-0203**

मुख्य शीर्षक : **2235** -सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

उप मुख्य शीर्षक : **02**- समाज कल्याण

लघु शीर्षक : **102**- बाल कल्याण

उपशीर्षक : **02**- अनुजातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

ब्यौरेवार शीर्षक : **0203**- समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0सहा0)

(धनराशि ` हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30	08	08
20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2402	601	601
26	मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1267	317	317
	कुल योग 0203 :-	3700	926	926
अनुदान संख्या 30 का कुल योग			926 हजार	

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

दिसंबर

संलग्नक-3


शासनादेश संख्या 2418 XVII(4)/2010/02(2)/11 दिनांक 01 नवम्बर, 2011 का संलग्नक

01 - अनुदान संख्या- **31** आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक : **2235-02-796-04-00**
मुख्य शीर्षक : **2235** सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : **02**- समाज कल्याण
लघु शीर्षक : **796**- जाजातिय क्षेत्र उप योजना
उपशीर्षक : **04**- समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा जाने वाला पोषाहार, (90प्रतिशत के0सहा0)
ब्यौरेवार शीर्षक : **00** - (धनराशि हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
04	यात्रा भत्ता	200	50	50
05	स्था. यात्रा भत्ता	100	25	25
08	कार्यालय व्यय	50	13	13
11	लेखन सामग्री	40	10	10
12	कार्यालय फर्नीचर	20	05	05
13	टेलीफोन व्यय	75	19	19
15	मोटर गाडी अनुरक्षण	50	13	13
16	व्यावसायिक सेवा	430	207	207
18	प्रकाशन	25	6	6
19	विज्ञापन,	30	8	8
20	सहा. अनु./अं.दा. /राज सहायता	727	182	182
26	मशीनें और साजसज्जा	402	101	101
42	अन्य व्यय	50	13	13
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	25	6	6
योग 0400 :-		2227	659	659

अनुदान संख्या 31 का कुल योग	659 हजार
अनुदान संख्या 15,30&31-Plan का कुल योग	28892 हजार

(रु0 दो करोड़ अठ्ठासी लाख बयानबे हजार मात्र)


(टीकम सिंह पवार)
संयुक्त सचिव